कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1136 / 12–1 :देहरादूनः दिनांकः 13 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषयः– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए के किमी0 133.00 से किमी0 170.00 (बेरीनाग– चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला–अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 22.112 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/Road/151113/2022)

संदर्भः– भारत सरकार के पत्रांक सं0 8बी/यू.सी.पी./06/73/2022/एफ.सी./463 दिनांक 06.07.2023।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1282/12–1(2) दिनांक 17.11.2023 (प्रति संलग्न) एवं प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर की पत्र संख्या 1852/12–1–2 दिनांक 07.11.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति नंही बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी –प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः–	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 44.224 हे० अवनत वन भूमि हल्द्वानी क० 02–10.00 है०, पैंसिया क० 01– 6.224 है०, पन्द्रपाली क० 01–15 है० एवं पालडी क० 08 – 13.00 है० पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	(क) वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्रों में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
	(ख) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में	(ख) वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना

	किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न–1)।
	(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र के के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र का राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(ग) वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र के के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य प्रस्तावित कचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र का राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों को ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुयें यथासंशोधित) 1,98,47,333.00 (एक करोड़ अठानवे लाख सैंतालीस हजार तीन सौ तैंतीस रू0 मात्र) की धनराषि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। (संलग्नक 02)
	5. शुद्ध वर्तमान मूल्य	
	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.03.2003 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5–1/1998–एफ. सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02..2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 22.112 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 2,85,87,499.00 (दो करोड़ पिचासी लाख सतासी हजार चार सौ निन्यानवे) की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। (संलग्नक 2 के अनुसार)।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अमिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक 3)।
6	State Government will ensure that the Wildlife Management Plan is in accordance with the guidelines of the MoEF&CC dt. 16.01.2022 and is in consonance with the bio-engineering measures suggested by Wildlife Institute of India in order to mitigate the impact of the linear infrastructure project on wildlife. The Project Proponent will submit an undertaking to deposit requisite amount for the implementation of the Wildlife Management Plan.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त संख्या–6 के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेंसी Wildlife Management Plan हेतु अपेक्षित धनराशि जमा करवायेगी (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है) (संलग्नक 4)।

7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 5395 वृक्षों एवं 1201 saplings से अधिक नहीं होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा **शर्त संख्या–7** के अनुपालन में 5395 वृक्षो एवं 1201 saplings से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेडों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि **शर्त संख्या–8** के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से रू0 4,84,34,832.00 (चार करोड़ चौरासी लाख चौंतीस हजार आठ सौ बत्तीस) की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये है। चालान की प्रति संलग्न
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि **शर्त संख्या–9** के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। (प्रमाण पत्र संलग्न है)
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि **शर्त संख्या–10** के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि **शर्त संख्या–11** के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि **शर्त संख्या–12** के अनुपालन में वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय दन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	वन सरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि **शर्त संख्या–13** के अनुपालन में राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	संबधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward Backward bearings अंकित हो ।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि **शर्त संख्या–14** के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि **शर्त संख्या–15** के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि **शर्त संख्या–16** के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं

		किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या–17 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017 – FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017 – FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर ली गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

	नही किया जायेगा।	
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड कर दी गई है। प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधियत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करे।

संलग्नः- यथोपरि।

भवदीय,

13/12/23

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 1136 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर ।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः– 57 /12-1 देहरादूनः दिनांकः 05 जुलाई, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–बागेश्वर अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 ए0 के कि0मी0 133.00 से 170.00 (बेरीनाग–चकोड़ी–काण्डा–बागेश्वर–ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 22.112 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/151113/2022)

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया जाना है कि :–

1. भारत सरकार द्वारा विषयगत प्रकरण पर दिनांक 06.07.2023 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।
2. विषयगत प्रस्ताव कुल 22.112 है0 वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित है, जिसमें बागेश्वर वन प्रभाग के साथ–साथ बिन्सर वन्यजीव अभ्यारण्य का 1.521 है0 क्षेत्र भी सम्मलित है।
3. प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त एन0पी0वी0 के अन्तर्गत रू0 2,85,87,499.00 एवं क्षतिपूरक वनीकरण के अन्तर्गत रू0 1,98,47,333.00 की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तदर्थ कैम्पा कोष में दिनांक 18.09.2023 को जमा की जा चुकी है।
4. उक्त धनराशि मे प्रयोक्ता एजेन्सी से बिन्सर अभ्यारण्य के 1.521 है0 हेतु एन0पी0वी0 के 01 गुने की धनराशि ली गयी थी, किन्तु सम्बन्धित प्रकरण बिन्सर वन्यजीव अभ्यारण्य से भी सम्बन्धित है एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार वन्यजीव विहार के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण हेतु एन0पी0वी0 के 05 गुने धनराशि लिये जाने का प्राविधान है।
5. उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विषयगत प्रकरण में एन0पी0वी0 के अतिरिक्त 04 गुने रू0 78,65,699.00 की धनराशि वसूल की जानी है। साथ ही भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाईन दिनांक 16.01.2023 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत Linear Project में Forest Component का 02 प्रतिशत Wildlife Management Plan हेतु एवं कम से कम 0.5 प्रतिशत Soil Moisture Conservation Plan के लिये भी प्रयोक्ता एजेंसी से अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने का प्राविधान है।
6. इस क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग के पत्रांक 5461/12–1–2 दिनांक 21.06.2024 के द्वारा निम्नानुसार डिमाण्ड नोट ऑनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया गया है :–

एन0पी0वी0 की अतिरिक्त 04 गुना धनराशि– (1.521 है0 हेतु @ 12,92,850.00 की दर से)	रू0 78,65,699.00
वाईल्ड लाईफ मेनेजमेन्ट प्लान की धनराशि– (सी0डब्ल्यू0एल0डब्ल्यू0 द्वारा अनुमोदित)	रू0 2,69,25,000.00
सोयल एण्ड मोईसचर कन्जरवेशन प्लान की धनराशि–	रू0 2,94,50,000.00

कृपया उपरोक्त का अवलोकन करते हुये प्रकरण में अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि तदानुसार प्रकरण मे जमा की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

पत्र संख्या 57 /12-1/दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।